रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2448] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2018/आषाढ़ 11, 1940
No. 2448] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2018/ASHADHA 11, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

**का.आ. 3197(अ).**—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय खंडों को तटीय विनियम जोन के रुप में घोषित किया था और उक्त जोन में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना और उनका विस्तार करने पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और, रक्षा संगठनों से कतिपय क्षेत्रों जो सामरिक अपेक्षा और राष्ट्रीय महत्व के हैं में सुविधाओं की अवस्थिति के लिए तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 के अधीन समर्थकारी उपबंध बनाने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

और, पणधारियों के अतिरिक्त् विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से समुद्रीय और तटीय पारिस्थितिक प्रणाली के प्रबंधन और संरक्षण, तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक पर्यटन, जीवन यापन विकल्पों के विकास और तटीय समुदायों के धारणीय विकास आदि के संबंध में तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 के कतिपय उपबंधों के संबंध में भी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ;

और, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा पणधारियों ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तटीय पर्यावरण से संबंधित मामले और तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 के संबंध में धारणीय विकास को संबोधित करने का अनुरोध किया है;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 के संबंध में तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा विभिन्न पणधारियों के विभिन्न मुददों और मामलों की परीक्षा करने और उक्त अधिसूचना में समुचित परिवर्तन करने की सिफारिश करने के लिए डा. शैलेश नायक की अध्यक्षता में समिति गठित की थी;

और, डा. शैलेश नायक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मंत्रालय ने परीक्षा की है और इस संबंध में विभिन्न पणधारियों से परामर्श किया गया है;

और, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करना लोकहित में है;

अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 का निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

(क) आरंभिक पैरा में उपपैरा (iii) को हटाया जाएगा और उप पैरा (iv) और (v) को (iii) और (iv) के रुप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) पैरा 5 के उपपैरा (iii) (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(iii) परिसंकटमय रेखा" जल स्तर घटत-बढ़त के कारण भूमि क्षेत्र पर बाढ़ के विस्तार, समुद्र तल में वृद्धि और समय के साथ समुद्र तट रेखा में घटित परिवर्तन (अपरदन या वृद्धि) को हिसाब में लेते हुए सीमांकित की जाएगी और तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ धारणीय तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, चेन्नई के माध्यम से साझा की जाएगी ;

(iv) परिसंकटमय रेखा तटीय पर्यावरण जिसके अंतर्गत अनुकूल और अल्पीकरण करने वाले उपायों की योजना भी है के लिए आपदा प्रबंधन योजना के औजार के रुप में प्रयुक्त की जाएगी

(v) तटीय समुदायों की संवेदनशीलता को कम करने और धारणीय जीवनयापन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तटीय जोन प्रबंधन योजना (सीजैडएमपी) बनाते समय परिसंकटमय रेखा और एचटीएल के मध्यक्षेत्र के लिए भूमि उपयोग की योजना को जलवायु परिवर्तन और समुद्र तट रेखा परिवर्तन के ऐसे प्रभावों को हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) पैरा 8 में शीर्षक "I. सीआरजैड–I. के खंड (i) में उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,

"(छ) रक्षा संगठनों से संबंधित योजनाएं जो सामरिक अपेक्षाओं और राष्ट्रीय महत्व की है तथा जिन्हें कहीं और नहीं ले जाया जा सकता वह कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा के अध्यधीन रहते हुए होगी।

[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III(भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी। और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई

1. का.आ. 2557, तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ.1244, तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085, तारीख 28 नवम्बर, 2014;
4. का.आ. 383, तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556, तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938, तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599, तारीख 16 जून, 2015;
8. का.आ. 3552, तारीख 30 दिसंबर, 2015;
9. का.आ. 1212, तारीख 22 मार्च, 2016;
10. का.आ. 4162, तारीख 23 दिसंबर, 2016;
11. का.आ. 621, तारीख 23 फरवरी, 2017;और
12. का.आ. 1393, तारीख 3 मई, 2017;
13. का.आ. 2444, तारीख 31 जुलाई, 2017;
14. का.आ. 1227, तारीख 6 अक्तूबर, 2017;
15. का.आ. 1002, तारीख 6 मार्च, 2018।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2018

**S.O. 3197(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, representations have been received from the Defence organisations for providing an enabling provision under the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 for location of facilities in certain areas which are of strategic requirement and has national importance;

And whereas, representations have also been received from various coastal States and Union territories, besides other stakeholders, regarding certain provisions in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 related to management and conservation of marine and coastal ecosystems, development in coastal areas, eco-tourism, livelihood options and sustainable development of coastal communities, etc;

And whereas, various State Governments and Union territories and stakeholders have requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to address the concerns related to Coastal Environment and sustainable development with respect to the Coastal Regulation Zone Notification, 2011;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had constituted a committee under the chairmanship of Dr. Shailesh Nayak to examine various issues and concerns of coastal States and Union territories and various stakeholders, relating to the Coastal Regulation Zone Notification 2011 and to recommend appropriate changes in the said notification;

And whereas, the report submitted by Dr Shailesh Nayak Committee has been examined in the Ministry and consultations have been held with various stakeholders in this regard;

And whereas, the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the Coastal Regulation Zone Notification, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely: —

(a) in the opening paragraph, sub-paragraph (iii) shall be deleted and sub-paragraphs (iv) and (v) shall be renumbered as (iii) and (iv).

(b) in paragraph 5, for sub-paragraphs (iii), (iv) and (v), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(iii) A 'Hazard line' shall be demarcated by the Survey of India, taking into account the extent of the flooding on the land area due to water level fluctuations, sea level rise and shoreline changes (erosion/accretion) occurring over a period of time, and shared with the coastal States and Union Territories through the National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai;

(iv) The Hazard line shall be used as a tool for disaster management plan for the coastal environment, including planning of adaptive and mitigation measures;

(v) With a view to reduce the vulnerability of the coastal communities and ensuring sustainable livelihood, while drawing the Coastal Zone Management Plans (CZMPs), the land use planning for the area between the Hazard line and HTL shall take into account such impacts of climate change and shoreline changes;";

(c) in paragraph 8. Under the heading "I. CRZ-I", in clause (i), after sub-clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) projects relating to Defence organisations which are of strategic requirement and national importance and cannot be located elsewhere, subject to strict environmental safeguards.".

[F. No. 19-27/2015-IA-III (Pt.)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows :—

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552 (E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212 (E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23rd December, 2016;
11. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017;
12. S.O. 1393 (E), dated 3rd May, 2017; and
13. S.O. 2444 (E), dated 31st July, 2017.
14. G.S.R. 1227(E), dated 6th October, 2017
15. S.O. 1002 (E), dated 06th March, 2018.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.02 22:28:14 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.